

8/18

पकावली आम कॅम्प कोर्ट एगवा के प्रेश
द्वारा) प्रथम संबंधित वाद पक का निर्णय
है प्रथम है प्र. पक काल्याई निवेदारी का
गारी रखने का कोई औचित्य नहीं है प्र.
पक काल्याई आवेश की कार्यवाही इसी तरह
फर खारिज किया जाता है पकावली कॅम्प
अगर दोबरे वाद है तब ही तथा पकावली
हाथेल पकल है।

16
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्चुनू)